PAGE :
DATE : / /

मन्त्रिमण्डल मिशन (केबिनेट मिशन)

1935 से 1947 तक के बारह वर्ष भारतीय राजनैतिक इतिहास मे बडे महत्व के थे। इस काल मे भारतीय समस्याओ का समाधान करने के लिये कई सुझाव प्रस्तुत किये गये थे। 1945 की लार्ड वेवल की योजना मे यद्यपि भारतीय संविधान के निर्माण सम्बधी योजना रखी गई थी किन्तु भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने के विषय मे इसमे कोई प्रस्ताव नही अतः भारतवासी इससे असंतुष्ट हो गये जिसके परिणामस्वरूप कैबिनेट मिशन योजना का अवतरण हुआ इन दिनो भारत की परिस्थितियां निरन्तर परिवर्तित होती जा रही थी और अब भारत को अधिक समय तक ब्रिटिश शासन के अधिन रखना असंभव था। साथ ही ब्रिटिश सरकार भारत की परिवर्तित परिस्थिति से उदासीन नहीं रह सकती थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त पश्चात् हुए चुनाव में लास्की के नेतृत्व में उदार दल की विजय हुई और एटली प्रधानमन्त्री बने। भारत के प्रति एटली का दृष्टिकोण चर्चिल से भिन्न था। इसके अतिरिक्त भारत मन्त्री के पद पर सर पैथिक लारेंस नियुक्त हुए। वे भी विचारो से एटली के सुझाव, अब भारत की स्वतन्त्रता की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये, सहमत थे।

कारण:- एटली की इस विचार धारा का कारण भारत की तत्कालीन स्थिति थी। स्थिति को देखते हुए दुरदर्शी एटली यह समझ चुके थे कि शक्ति के द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन अधिक दिनो तक

Scanned with CamScanner

PAGE :
DATE : / /

चलाए रखना संभव नहीं है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान आजाद हिन्द फौज द्वारा अंग्रेजो के विरुद्ध लड़ना तथा भारत मे नौसेना व वायुसेना द्वारा विद्रोह ऐसी घटनाएं थी जो ब्रिटिश सरकार को उदार नीति अपनाने को विवश कर रही थी। आजाद हिन्द फौज के अधिकारियो पर चले मुकदमों के समय जिस प्रकार से भारतीयो द्वारा उनका समर्थन किया गया था, उससे एटली भी परिचित था। इसके अतिरिक्त भारत छोड़ आन्दोलन के दौरान लगभग सभी प्रमुख नेताओ को जेल मे डालदिये जाने से ब्रिटिश शासन के प्रति जनाक्रोश स्पष्ट हो गया था। किसानो व मजदुर वर्ग ने भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आन्दोलनो में महत्वपूर्ण भाग लिया। जगह-2 हड़ताले हुई व प्रदर्शन किये गये। मजदुर, किसान छात्र, कारीगर, दुस्तकार, लघुस्तरीय व्यापारी आदि अपने-2 तरीको से साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे। 1946 में हुए चुनावो में कांग्रेस की भारी जीत ने भी भारतीयो की अपेक्षाओ को व्यक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्वयुद्ध में इंग्लैण्ड विजयी अवश्य रहा किन्तु इस युद्ध के इंग्लैण्ड पर गंभीर आर्थिक व राजनैतिक प्रभाव हुए। इंग्लैण्ड की अर्थ व्यवस्था लड़खड़ा रही थी तथा राजनीतिक रूप से भी उसका स्थान विश्व में सर्वोच्च नही रहा।

22. एटली की घोषणा :→

कुल मिलाकर इंग्लैण्ड

PAGE :
DATE : / /

स्थिति अच्छी नहीं थी। अतः एटली ने समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1946 ई० को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उसने भारतीयों के आत्मनिर्णय के व संविधान निर्माण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। भारतीयों को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में रहने अथवा न रहने की भी छूट दी गई। इस घोषणा में एटली ने यह भी कहा, "हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सजग हैं परन्तु हम उन्हें बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने के लिये वीटो नहीं दे सकते।" कांग्रेस द्वारा इस घोषणा का स्वागत किया गया जिन्ना को इससे घोर निराशा हुई। पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ कि इंग्लैण्ड की सरकार उनकी सहमति के बिना भी सत्ता हस्तान्तरण के लिये तैयार है।

15 मार्च, 1946 को ही प्रधानमन्त्री एटली ने यह घोषणा भी कि की ब्रिटिश सरकार भारत के साम्प्रदायिक एवं राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिये मन्त्रिमण्डल मिशन भारत भेजेगी, जिसके सदस्य भारत मन्त्री लॉरेन्स सर क्रिप्स तथा ए.वी. एलेक्जेण्डर होंगे।

3). कैबिनेट मिशन भारत में :→

ये तीनो 24 मार्च 1946 को भारत आये भारत पहुचते ही भारत मन्त्री ने बडी आशापूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया उन्होने कहा "भारत उज्जवल भविष्य के द्वार पर खडा है ब्रिटिश राज्य उन वायदो और वचनो को पूरा करना चाहता है जो उन्होने ने भारत को दिये है और हम विश्वास दिलाते है कि अपनी वार्ता के बीच

Scanned with CamScanner

हम ऐसी बाधा या अर्त उत्पन्न नहीं करेंगे जो भारत के स्वाधीन अस्तित्व के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे" कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भी यही था यह निर्धारित करना कि भारत में सत्ता किसको और किस प्रकार सौंपी जाये। आते ही कैबीनेट मिशन ने भारत के सभी महत्वपूर्ण दलों के प्रमुख नेताओं व प्रतिनिधियों से बातचीत आरंभ कर दी। यह तय हुआ कि शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाय। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और मिशन के प्रतिनिधि होंगे।

4). लीग द्वारा मिशन को प्रभावित करने का प्रयास :→

शिमला सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को प्रभावित करने के लिये सभी विधायकों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया। इस अवसर पर मुस्लिम लीग के नेताओं ने धर्म के नाम पर खूब जहर उगला। धार्मिक उन्माद के इस वातावरण में यह प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग ऐसी किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें पाकिस्तान के निर्माण की व्यवस्था न हो।

5) लीग व कांग्रेस का प्रतिवेदन :→

शिमला सम्मेलन प्रारंभ होने से पूर्व मुस्लिम लीग और कांग्रेस

Scanned with CamScanner

PAGE :
DATE : / /

दोनो ने मिशन के सामने अपने-2 प्रस्ताव रखे। लीग ने दो भागो वाले - पश्चिम में पंजाब सीमा प्रान्त बलुचिस्तान और सिन्ध, तथा पूर्व मे बंगाल और आसाम पाकिस्तान के निर्माण की मांग की रखा उन्होने प्रान्तो में स्वयात शासन की मांग की। तथा सुरक्षा विदेश और संचार नीति के नियन्त्रण के ~~विरुद्ध~~ विषय संयुक्त समिति के हाथ में हो यह प्रस्ताव रखा।

* कांग्रेस ने देश में संविधान निर्धारण के लिये संविधान सभा के गठन की मांग रखी। नई केन्द्रीय सरकार के पास सुरक्षा विदेश विभाग यातायात, संचार, अखबार और मौलिक अधिकारो जैसे विषय रखने की बात रखी गई। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा कि किसी साम्प्रदायिक समस्या के सम्बंध में कोई निर्णय लेने से पुर्व उस स्थान पर जनमत संग्रह करवाया जायेगा।

कमीशन ने दोनो प्रतिवेदनो को अस्वीकार कर दिया। कमीशन पाकिस्तान के निर्माण के विरोध मे था। उसका मत था कि केवल धर्म के आधार पर एक सुव्यवस्थित देश का विभाजन नही हो सकता कांग्रेस का प्रतिवेदन यद्यपि कमीशन के विचारो के नजदीक था, फिर भी कमीशन ऐसे प्रतिवेदन को स्वीकार नही करना चाहता था, जो मुस्लिम लीग के लिये बहुत अधिक आपत्तिजनक हो।

6) शिमला सम्मेलन:→ 5 मई को शिमला मे त्रिदलीय

PAGE :
DATE : / /

सम्मेलन आरंभ हुआ। सम्मेलन एक सप्ताह तक चलता रहा। कैबिनेट मिशन चाहता था कि एक व्यवस्था को कांग्रेस और लीग दोनो स्वीकार कर लो - जिसमे भारत में एक संघ शासन प्रान्त पूर्णतः स्वायत्त शासी हो, प्रान्तो के अलग समूह बना दिये जाये, तथा अविशिष्ट शक्तियो भी प्रान्तो को प्राप्त हो। परन्तु लीग का रवैया अत्यन्त दृढधर्मी था। इसलिये शिमला मे कोई समझौता नही हो सका।

परन्तु कैबिनेट मिशन शुरू मे ही घोषणा कर चुका था कि वह भारत के सत्ता हस्तान्तरण के प्रश्न पर किसी को अपने मार्ग मे बाधा बनने नहीं देगा और न ही किसी अल्पमत वर्ग को "वीटो का अधिकार देगा। क्योंकि शिमला मे कोई समझौता नहीं हो सका था, इसलिये कमीशन ने निर्णय लिया कि वह अपनी योजना प्रस्तुत कर देगा। 16 मई को कैबिनेट - मिशन - योजना प्रस्तुत कर दी गई।

7. कैबिनेट - मिशन योजना :→

मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत योजना एक विस्तृत योजना थी। उसमे तीन बातो की विस्तार से व्याख्या की गई थी।

1. भारत के भावी संविधान सम्बंधी सिफारिशे।
2. संविधान सभा की रचना।
3. अन्तरिम सरकार

(i) भारत के भावी संविधान सम्बंधी सिफारिशे वे इस प्रकार थी।

Scanned with CamScanner

PAGE :
DATE : / /

(a) संघीय व्यवस्था :- योजना में यह कहा गया था कि भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को शामिल होगी। वैदेशिक विभाग, प्रतिरक्षा तथा यातायात के साधन संघ के हाथ में रखे जायेंगे और उनके लिये आवश्यक धन उगाहने की शक्ति भी उसे दी जायेगी। इसके अतिरिक्त सारे अधिकार अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी जायेगी। संघीय सरकार में एक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होगी तथा इसमें प्रांतों के अतिरिक्त देशी रियासतों के प्रतिनिधी भी भाग लेंगे।

(b) देशी रियासतें :→ संघीय व्यवस्था में देशी रियासतें भी सम्मिलित होगी देशी रियासतें चाहें तो स्वेच्छा से कुछ विषय संघीय सरकार को सौंप सकती हैं। अन्यथा सभी विषयों पर उन्हीं का अधिकार होगा।

(c) साम्प्रदायिक प्रश्न :→ संघीय व्यवस्थापिका में किसी भी साम्प्रदायिक समस्या पर जो निर्णय लिये जायेंगे वे सदन के बहुमत के आधार पर नहीं होंगे। बल्कि साम्प्रदायिक समस्याओं पर निर्णय उसी सम्प्रदाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा होंगे।

(d) प्रांतों का वर्गीकरण :→ प्रांतों की सरकारें अपने विषयों में स्वतन्त्र रहेगी। इस समय ब्रिटिश भारत के तीन समूह बनाने की व्यवस्था की गई। यह सिफारिश की गई कि प्रांतों को यह अधिकार हो कि वे अपने पृथक समूह बना सके और

Scanned with CamScanner

इसके लिये कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका विभाग का संगठन कर सके। प्रत्येक प्रान्त के अलग-2 विधान मण्डल व कार्यपालिका होगी इस योजना के अनुसार प्रान्तीय प्रतिनिधि, संविधान सभा के प्रारंभिक अधिवेशन के पश्चात तीन विभागो मे बँट जायेगे। विभाग (क) बम्बई, बिहार, मध्य प्रान्त, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रान्त, विभाग (ख) मे पश्चिमोत्तर सीमान्त, पंजाब और सिंध तथा विभाग (ग) मे आसाम और बंगाल सम्मिलित होगे। यह स्पष्ट है कि दो विभागो मे मुसलमानो का बहुमत था।

अपने प्रस्तावो के पैरा 15 (5) मे कैबिनेट मिशन ने कहा था - "प्रान्तो को समूह बनाने की स्वतन्त्रता होगी और प्रत्येक प्रान्त समूह यह तय करेगा कि कौन-2 से विषय समान रूप से सामूहिक शासन मे रहे।" और पैरा 19 (5) मे ये विभाग अपने अपने समूह के प्रान्तो के संविधान को तैयार करेंगे और यह तय करेगे कि क्या उन प्रान्तो के लिये कोई सामूहिक संविधान तैयार करना चाहिये। यदि ऐसा हो तो कौन से विषय सामूहिक संविधान के अन्तर्गत रहने चाहिये।"

(E) संविधान पर पुनर्विचार → मन्त्रिमण्डल मिशन ने यह भी प्रस्ताव रखा कि भारतीय संघ तथा प्रान्तो के समूहों के संविधान मे यह धारा रखी जाय कि कोई भी प्रान्त अपने विधानमण्डल के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके 10

योजना के प्रारंभ होने के दस वर्ष बाद तथा फिर प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात् संविधान की धाराओं पर दुबारा विचार करने के लिये प्रस्ताव पेश कर सके। संघीय धारसभा के चुनाव के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाये तथा दस लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाये।

2. संविधान सभा की रचना:→

भारत का संविधान बनाने के लिये एक संविधान सभा का निर्माण किया जाये।

अ. सभा के कुल सदस्य 389 होंगे। इनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों, चीफ कमीश्नर प्रान्तों के 4 तथा शेष 292 सदस्य गवर्नर प्रान्तों के होंगे।

ब. लगभग दस लाख व्यक्ति पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। प्रान्तों की दी गई सीटें उनकी विभिन्न जातियों में जनसंख्या के आधार पर बटनी थी।

(स) प्रान्तों में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया गया तथा यह तय किया गया कि प्रान्तीय विधान सभा से प्रत्येक समुदाय को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे उनका चुनाव प्रत्येक समुदाय अलग-अलग करेगा।

द. साम्प्रदायिक वर्गों के आधार से प्रतिनिधि सीटें देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। केवल तीन आधार पर मतदाताओं को बांटने का निश्चय हुआ — साधारण, मुसलमान तथा सिक्ख।

य. रियासतों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर होगा। इनके प्रतिनिधि कैसे चुने जायेंगे

इस सम्बंध मे रियासतो की समिति निर्णय लेगी।

(4) प्रान्तो के लिये अलग-संविधानो की व्यवस्था की गई। प्रान्तो के तीन समूह ए-बी-सी बनाये जायेंगे। यह समूह निर्धारित करेंगे कि कौन से विषय और शक्तियाँ प्रान्तो की सरकार के पास रहेंगी और कौनसी समूहों की सरकार के पास।

(5) इस नये संविधान के अधीन पहले चुनावों के बाद प्रत्येक प्रान्त को यह छूट थी कि यदि वह अपने संविधान मण्डल के बहुमत से समूह छोड़ने का प्रस्ताव पास कर दे तो उसे छोड़ सकता है)

3. अन्तरिम सरकार :-> कैबिनेट मिशन योजना में एक अस्थाई सरकार (अन्तरिम सरकार) का प्रस्ताव भी था। यह तय किया गया कि नया संविधान बनने तक देश मे एक अन्तरिम सरकार बनाई जायेगी। इसे भारत के प्रमुख दलो का सहयोग प्राप्त होगा। केन्द्रीय सरकार की समस्त शक्तियां सुरक्षा और विदेश नीति सहित इसे सौंप दी जायेगी। प्रशासन तथा संक्रमण काल में इस सरकार को ब्रिटिश सरकार अपना पूर्ण सहयोग देगी। इस सरकार मे 14 सदस्य होंगे (6 कांग्रेस 5 लीग 1 ईसाई 1 पारसी 1 सिख)

अन्त मे कहा गया कि क्योंकि ~~ब्रिटिश~~ ब्रिटेन भारत को पूरी तरह सत्ता सौंप देना चाहता है, इसलिये अन्तरिम सरकार बनने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच एक ~~सं~~ संधि होगी। देशी

रियासतों पर भी ब्रिटेन का अधिकार (सर्वोच्चता का) समाप्त हो जायेगी तथा वे मुक्त होंगी चाहे तो स्वतन्त्र रहे, और चाहे तो संघ सरकार में सम्मिलित हो जाये। यह आशा व्यक्त की गई कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहेगा। परन्तु यदि वह ऐसा नहीं चाहता तो उसकी छूट होगी।

आलोचना :- मन्त्रिमण्डल मिशन में जहाँ कुछ गुण थे वहाँ निर्बलताए भी थी। उनका अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है।

गुण :- गाँधी जी ने मिशन की प्रशंसा करते हुए लिखा है "तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोच्चम लेख था।" वास्तव में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह बहुत अच्छी योजना था।

1. भारतीय एकता को सुरक्षित रखना :→ योजना के अनुसार पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई थी। इसमें भारतीय एकता को स्वीकार कर ली गई कि भारत का विभाजन नहीं होगा यद्यपि प्रान्तों के अलग-2 समूह बना दिये गये थे, तो भी 2 महत्वपूर्ण विषयों में एक संघीय सरकार के अधीन रखे गये थे। वास्तव में कांग्रेस और लीग के मध्य चल रहे गतिरोध को देखते हुए मन्त्रिमण्डल मिशन का कार्य अत्यन्त कठिन था। इसलिये उसने ऐसी योजना बनाई जो किसी एक दल को प्रसन्न करने के लिये नहीं थी। बल्कि इसमें सबका दृष्टिकोण ध्यान

Scanned with CamScan

मे रचा गया था।

2. संविधान सभा का लोकतन्त्रीय आधार :→

इस योजना का गुण यह था कि संविधान सभा का निर्माण न्यायपूर्ण प्रतिआर की निकाल दिया गया था। इसमे देशी रियासतो तथा ब्रिटिश प्रान्तो को जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय की जनसंख्या के अनुपात मे उन्हे स्थान दिये गये थे इसमे ईसाई पारसियो आदि के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

3. संविधान सभा एक पूर्णतः- भारतीय संस्था :-

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि संविधान सभा के सारे सदस्य भारतीय रखे गये थे। इसमे एक भी ब्रिटिश अधिकारी या यूरोपियन व्यक्ति नही था। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव का अधिकार प्रान्तीय धारसभा के यूरोपियन सदस्यों को नही दिया गया। सभा के कार्यो मे ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही कर सकते थे

4. देशी रियासतो के जनता के अधिकारो को मान्यता :→

योजना के अनुसार यह कहां गया कि देशी रियासतो का भी संविधान सभा मे प्रतिनिधित्व होगा। ये प्रतिनिधि राजाओ द्वारा मनोनीत नहीं होगे। बल्कि

उनका निर्धारण एक मध्यस्थता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जायेगा।

5. अन्तरिम सरकार की व्यवस्था:→
नये संविधान के बनने तक एक अन्तरिम सरकार की व्यवस्था की गई। उसे शासन की सभी महत्वपूर्ण शक्तियां सौंप दी गई।

6. राष्ट्रमण्डल से अलग होने का अधिकार:→
यद्यपि यह आशा व्यक्त की गई कि भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनेगा। परन्तु इसके साथ ही भारत को इस बात की स्वतन्त्रता भी दी गई थी कि यदि वह चाहे तो राष्ट्रमण्डल से अलग भी हो सकता है।

दोष:→
यद्यपि कैबिनेट मिशन योजना में काफी महत्वपूर्ण बातें थी किन्तु कुछ त्रुटियों के कारण इसकी आलोचना की जाती है।

1. प्रान्तों का समूहीकरण:→
प्रान्तों के समूह किसी वैज्ञानिक ढंग से नहीं बनाये गये थे बल्कि मुस्लिम लीग का प्रसन्न करने के लिये बनाये गये थे असाम में हिन्दुओं का बहुमत था परन्तु उसे बंगाल के साथ धकेल दिया गया जहां मुसलमानों का बहुमत था उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में कांग्रेस का बहुमत था परन्तु उसे 'बी' ग्रुप में धकेल दिया गया। प्रान्तों का साम्प्रदायिक आधार पर समूहीकरण गलत था।

2. निर्बल केन्द्र:→
इस योजना के अनुसार मिस केन्द्रीय

Scanned with CamScanner

PAGE:
DATE: / /

सरकार की स्थापना होने वाली थी। उसके पास केवल तीन विषय - प्रतिरक्षा यातायात तथा वैदेशिक सम्बंध रहते। इससे केन्द्र अवश्य ही निर्बल रहता और भारत कभी भी शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता था।

3. अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान निर्माण की स्वीकृति:→

यद्यपि योजना में भारत को अखण्ड रखने की व्यवस्था थी और प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान निर्माण की बात को स्वीकार नहीं किया गया तथापि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का निर्माण भी कर दिया गया। साम्प्रदायिक आधार पर प्रान्तों के समूह बनाये गये थे। पूर्व और पश्चिम में मुस्लिम प्रान्तों के जो समूह बनाये गये थे, वे वास्तव में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान ही थे।

4. प्रान्तों के अलग-अलग संविधान:→

संविधान सभा का कार्य केवल संघीय संविधान का निर्माण करना था। इस बात की व्यवस्था थी कि प्रान्त अपना अलग संविधान बना सकते है। इससे देश में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली लागू होने की संभावना थी।

5. देशी रियासतों के अनुचित अधिकार:—

इस योजना से देशी रियासतों को कुछ अवि अनुचित अधिकार दिये गये। यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार स्वतन्त्रता

Scanned with CamScanner

के बाद देशी रियासतों के ऊपर अधिसत्ता [Paramountcy] न तो स्वयं रख सकेगी और न ही केन्द्रीय सरकार रखेगी। इसका तात्पर्य था कि देशी रियासतें पूर्ण स्वतन्त्र होंगी और उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वे संविधान को माने या न माने। इस तरह से भारत के अनेक टुकड़े कर दिये गये।

6 **अस्पष्ट व्यवस्थाएं :→** योजना की कुछ बातें सर्वथा अस्पष्ट थीं यह स्पष्ट नहीं था कि प्रान्तों के जो समूह बनाये गये हैं वे ऐच्छिक हैं अथवा अनिवार्य कांग्रेस ने इसका अर्थ यह लगाया कि किसी प्रान्त का समूह में सम्मिलित होना ऐच्छिक होगा मुस्लिम लीग ने कहा नहीं। अनिवार्य होगा।

7. **संविधान सभा व अन्तरिम सरकार के सीमित अधिकार :→** इस योजना में अन्तरिम सरकार को सारे अधिकार देने का आश्वासन नहीं दिया गया था और संविधान सभा भी पूर्णतः सम्प्रभु संस्था नहीं थी। मिशन ने जहाँ तक हो सकेगा उन दोनों को स्वतन्त्रता देने की बात कही थी। संविधान सभा भारत का संविधान अपनी स्वतन्त्र इच्छा से नहीं बना सकती थी। इसको कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार चलना था।

25 जून 1946 को कांग्रेस कार्यसमिति ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान न बनाये जाने के कारण क्षो-

प्रकट करते हुए इसे स्वीकार कर लिया। अतः जुलाई 1946 में मिशन योजना के अनुसार चुनाव करवाये गये। इसमे कांग्रेस को अपार सफलता मिली। लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करते हुए सीधी कार्यवाही की धमकी दी। वेवल ने नेहरू को अन्तरिम सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया। जिन्ना इस सरकार मे प्रवेश के लिये तैयार नही हुए और उन्होने अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही की घोषणा कर दी। स्थान-स्थान पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। किन्तु फिर भी अन्तरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। वायसराय के प्रयत्नो से मुस्लिम लीग भी मुसलमानो के हितो की रक्षा के लिये इसमे सम्मिलित हो गई।

Scanned with CamScanner